आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.
महारत्न कंपनी

REC Limited | आर ई सी लिमिटेड
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालयः कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाषः +91 124 444 1300 | वेबसाइटः www.recindia.nic.in
सीआईएनः L40101DL1969GOI005095|जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2024/1855 **दिनांक: 27 अगस्त, 2024**

लिस्टिंग विभाग, **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड** **एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,** **बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१**	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग,** **बीएसई लिमिटेड** **पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स,** **दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१**
स्क्रिप कोड-RECLTD	**स्क्रिप कोड-532955**
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), **Mumbai-400 051**	**Corporate Relationship Department,** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, **Mumbai - 400 001**
Scrip Code-RECLTD	**Scrip Code-532955**

विषय: "मीडिया/प्रकाशन" में छपने वाले समाचारों पर स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

26 अगस्त, 2024 के आपके ईमेल के संदर्भ में, 26 अगस्त, 2024 को "energy.economictimes.indiatime" में छपी हालिया खबर पर स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसका शीर्षक था "आरईसी लिमिटेड द्वारा जेएनपीए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ₹ 45000 करोड़ का वित्तपोषण।"

शुरुआत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" / "कंपनी"), विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक महारत्न सीपीएसई, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ("एनबीएफसी") है जो भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ("आईएफसी") के रूप में वर्गीकृत है और कंपनी विद्युत, लॉजिस्टिक्स और अवसरंचना क्षेत्रों के वित्तपोषण हेतु कार्य करती है।

इसके अलावा, जैसा कि समय-समय पर पहले सूचित गया है कि कारोबार के सामान्य क्रियाकलापों में, कंपनी समय-समय पर विद्युत क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की परियोजनाएं को वित्तपोषण करने की संभावना को संयुक्त रूप से तलाशने के लिए विभिन्न कंपनियों/बैंकों/अन्य के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापन ("एमओयू") पर हस्ताक्षर करती है। यह उल्लेख करना उचित है कि एक एनबीएफसी होने के नाते, विद्युत क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना / एमओयू में प्रवेश करना कंपनी के कारोबार के सामान्य क्रियाकलापों में शामिल है।

उपरोक्त के आलोक में, आवश्यक विवरण इस प्रकार हैं:-

क) कंपनी ने जेएनपीए की विभिन्न आगामी परियोजनाओं के लिए ₹ 45,000 करोड़ तक के वित्तपोषण के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण ("जेएनपीए") के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वधावन पोर्ट का विकास भी शामिल है, जो आमतौर पर सामान्य व्यवसाय की प्रकृति में है। कंपनी ने एमओयू में उल्लिखित परियोजना के लिए अब तक कोई ऋण या वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की है।

ख) आरईसी लिमिटेड सेबी के विनियमन 30 (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 बिना किसी विफलता/विलंब/विचलन के तहत जब भी आवश्यक हो, स्टॉक एक्सचेंजों को उन सभी घटनाओं और सूचनाओं के बारे में तुरंत सूचित करता है, जिनका कंपनी के संचालन/प्रदर्शन पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें सभी मूल्य संवेदनशील जानकारी भी शामिल है।

ग) इसके अलावा, उपरोक्त लेख का कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है, यह देखते हुए कि कंपनी के मुख्य कारोबार में विद्युत, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में परियोजनाओं का निर्माण शामिल है।

इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि कंपनी के पास सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 30 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा करने के लिए कोई मूल्य संवेदनशील जानकारी संबंधित घोषणा नहीं है।

हम आपसे हमारे स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध करते हैं। यदि इस संबंध में किसी और स्पष्टीकरण/जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया हमें बताएं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

Jyoti Shubhra Amitabh

भवदीय,

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव